



यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्रथम तल, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, पी-2, सैक्टर-ओमेगा-1, ग्रेटर नौएडा।

पत्रांक: वाई.ई.ए/सम्पत्ति-ग्रुप हाउसिंग/...628/2021

दिनांक: - 28/07/2021

संशोधित कार्यालय आदेश

प्राधिकरण की 70वीं बोर्ड बैठक के मद संख्या 36 में "यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में कतिपय कारणों से निरस्त किये गये आवासीय टाउनशिप/ग्रुप हाउसिंग योजना के भूखण्डों को पुर्नस्थापित (**Restoration**) किये जाने हेतु पुर्नस्थापना नीति निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।" प्रस्तुत प्रस्ताव में निम्न नीति संचालक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है:-

The Authority can exercise cancellation of Township/Group Housing plot for breach of terms and conditions of allotment/lease deed. However, the Chief Executive Officer can restore the plot. The restoration will be subject to the following conditions:

1. The decision about the restoration of the plot will be taken by the Chief Executive Officer within 3 years after the date of cancellation subject to non-allotment/allocation of the said Plot/premises to any third party. After 3 years all the restoration matters will be put up before the Board of the Authority.
2. The allottee will have to make up to date payments, dues, penalties and interest etc. as applicable till the date of restoration and including the period of Cancellation. The allottee can make all the payments in lump sum or can avail the policy of Re-schedulement prevailing at the time of restoration.
3. The restoration charges will have to be paid @ 10 % of the total premium of the plot at Prevailing rate/reserve price calculated at the time of restoration.
4. The allottee has to pay time extension charges as per terms of allotment/lease.
5. The transfer of the Plot in whole or in part will not be allowed before obtaining the Completion Certificate of the complete project as per the terms mentioned in Lease deed.
6. If the allottee has filed a case in the court of law against cancellation, then he will have to withdraw the case and will have to compensate the expenses to the Authority in regard to pursue the case.
7. The allottee has to submit performance guarantee valid for more than three months period of PIS (Project implementation schedule) given by him and value of performance guarantee will be 10% of the prevailing price of the plot.

उक्त प्रस्ताव पर संचालक मण्डल द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि "आवासीय टाउनशिप/ग्रुप हाउसिंग योजना के भूखण्डों को पुर्नस्थापित (**Restoration**) किये जाने हेतु पुर्नस्थापना नीति को इस संशोधन के साथ अनुमोदित किया गया कि आवंटी/आवेदक को सम्पत्ति के निरस्तीकरण (**cancellation**) के 90 दिन के अन्दर पुर्नस्थापित (**Restoration**) के लिये आवेदन करना होगा तथा 10 प्रतिशत **Performance Guarantee** लिये जाने की शर्त को भी अस्वीकृत करते हुये पुर्नस्थापित (**Restoration**) पॉलिसी से हटाने के निर्देश दिये गये।

साथ ही बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण में इस तरह के प्रत्यावेदन ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से ही स्वीकार किये जायें।

साथ ही निर्देशित किया गया कि 90 दिन की अवधि में प्राधिकरण में प्राप्त प्रकरणों में परियोजना की वर्तमान प्रचलित आवंटन दर का 10 प्रतिशत **Restoration charge** एक मुश्त प्राप्त कर दिनांक 31 अगस्त, 2021 तक प्राप्त आवेदनों का निस्तारण करें। जिन प्रकरणों में 90 दिन से अधिक की अवधि के पश्चात् **Restoration Application** प्राप्त हुई है, उनको **case to case** आधार पर **specific Agenda** तैयार कर आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

अतः बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव एवं उसपर संचालक मण्डल द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही इससे सम्बन्धित पूर्व में निर्गत कार्यालय आदेश संख्या वाई0ई0ए/बिल्डर्स/587/2021 दिनांक 09.07.2021 को अतिक्रमित किया जाता है।


उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा।

(रविन्द्र सिंह)

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपि :-

- स्टॉफ आफिसर, मुख्य कार्यपालक अधिकारी को महोदय के सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एम) महोदया को सूचनार्थ प्रेषित।
- विशेष कार्याधिकारी-(एस.बी/एस0जी0/एम0) को सूचनार्थ प्रेषित।
- महाप्रबन्धक (परियोजना)/(वित्त)/(नियोजन) को अनुपालनार्थ।
- उप महाप्रबन्धक (वित्त) को अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु।
- सहायक महाप्रबन्धक (सम्पत्ति) को अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु।
- ✓ सहायक महाप्रबन्धक (सिस्टम) को उक्त नीति को प्राधिकरण की वेबसाईट पर प्रदर्शित किये जाने हेतु प्रेषित।
- गार्ड फाईल।



अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी